न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

अनुसूची-14 फारम : 562

पुरली मंडल वगैरह ....प्रथम पक्ष

बनाम

सोनू मंडल ....द्वितीय पक्ष

वाद संख्या 98/21 धारा 144 द०प्र०सं०

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश सं0 कं. ता0 .... से .... तक

जिला .... सं0 .... सन् 20.........

केस का प्रकार ....

आदेश की क्रम सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
28/06/21	आवेदक/आवेदिका पुरली मंडल पिता/पति स्व० लटु मंडल ग्राम ढोढ़ी सरिया थाना सरिया जिला गिरिडीह द्वारा द०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा सरिया खुर्द खाता सं0 01/39 प्लॉट संख्या 2021/4056 रकवा 156 डी० चौहद्दीः उ0- खान खेत द0- परती जमीन पू0- मौजा बड़की सरिया प0- प्रार्थी में भू-विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जाँच/मंतव्य अंचल अधिकारी सरिया/थाना प्रभारी सरिया से माँगें। अभिलेख दिनांक 15/07/21 को उपस्थापित करें। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया।	171 28/06/21
13/7/21	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी सरिया के पत्रांक 326 दिनांक 07/07/2021 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त जमीन पर हिस्से को लेकर उभय पक्षों विवाद कायम है।	

आदेश की क्रम सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर है, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 द० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह के कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 29/07/21 को कारणपृच्छा की माँग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों

आदेश की क्रम सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
	के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। लेखापित एवं संशोधित अनु0 पदाधि0 बोरदर - सरिया अनु0 पदाधि0 बोरदर - सरिया	
29/07/21	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष - अनु0। अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से अलग हैं। अभिलेख दि0 05/08/21 को रखें। अनु0 प0 अ0 - बोरदर - सरिया -	
05/08/21	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनु0। To 26/08/21	

आदेश की क्रम सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
26/08/21	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनु.। To 9/9/21 (हस्ताक्षर) 26/08	
09/09/21	उभय पक्ष अनु0 उभय पक्ष द्वारा सुलहनामा दाखिल किया गया है। सुलहनामा के आधार पर इस वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। सुलहनामा इस आदेश का अंश होगा। (हस्ताक्षर) 9/09/21	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2021.10.28 12:33:05 +05:30
Location: 192.168.43.238